

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)

डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
दूरभाष – 2740219, 2740292 (फैक्स)

मेडिकलेम बीमा पॉलिसी शिड्यूल

(विशेष निर्मित पॉलिसी)

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर

पॉलिसी नं. : जी.आई.एफ./

बीमा अवधि : 01.04.2011 से 31.03.2012 (मध्य रात्रि)

बीमित का नाम : समस्त राज्य कर्मी जो

दिनांक 1.1.2004 के बाद

भर्ती हुए हैं एवं आश्रित परिजन।

जारी की तारीख : 01.04.2011

कुल बीमा राशि : रूपये 1 लाख

(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार
आश्रित परिजन)

प्रीमियम : 250/- + 10.30 % सेवा शुल्क+

30% विविध खर्चा प्रति राज्य

कर्मचारी

(प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भुगतान)

Category – A / B / C

कुल प्रीमियम + सेवा शुल्क : रू. / -

प्राप्त प्रीमियम + सेवा शुल्क : रू. / -

बकाया प्रीमियम : रू. / -

(संदर्भ-

जोखिम का विवरण

- जोखिम आवरण : राज्य कर्मों तथा परिजनों हेतु ग्रुप मेडिकलेम, विशेष रूप से निर्मित पॉलिसी-बीमा राशि रूपये 1 लाख
- पॉलिसी : राज्य कर्मों के परिवार में निम्न शामिल है।
- क्लॉज के अध्यक्षीन (a) राज्यकर्मों (स्वयं), (b) उसका/उसकी पति/पत्नी
(c) 2 आश्रित बच्चों जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं हों।
(d) आश्रित माता/पिता राज्य कर्मों पर आश्रित माने जायेंगे: जबकि वे सामान्य तथा राज्य कर्मों के साथ, उसके तैनाती स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय सभी स्रोतों से रूपये 2000/- से अधिक नहीं हो।

दावे के लिए सम्पर्क करें: इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को निम्न कार्यालय में दें।

अनुयता मेडिनेट हैल्थ केयर टी.पी.ए. प्रा.लि.

बी-204 अमृत कलश बिल्डिंग, कमल एण्ड कम्पनी,

गोपालपुरा टॉक रोड जयपुर

वेब साइट: www.anyutatpa.com

फोन नं.-0141-6596565 / 2700792, हैल्प डेस्क मो0 नं0: 8764176164

फैक्स नं0 - 0141 - 2700792

ई मेल:- jaipurbo@anyutatpa.com

(उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी।)

साधारण बीमा निधि की मेडिकलेम पालिसी की सामान्य शर्तों के अध्यक्षीन राज्य कर्मों को बीमा आवरण प्रदान किया गया है।

अतिरिक्त निदेशक(मेडिकलेम)

निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग